

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936

No. 65]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSHA 19, 1936

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

का.आ. 122(अ).—केंद्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1579(अ), तारीख 13 जुलाई, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तंभ (1) के अधीन अधिकारी के नाम, पदनाम और पते से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“श्री सुशील कुमार मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (संकर्म),
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल” ।

[फा. सं. 8(16)/2012-सेल-पीसी]

सुनील बड़थवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, का.आ. संख्यांक 1579(अ), तारीख 13 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2015

S.O. 122(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Steel, number S.O. 1579(E), dated the 13th July, 2012, namely:—

In the said notification, in the Table, for the entries under column (1) relating to Name, designation and address of the officer, the following entries shall be substituted, namely:—

“Shri Sushil Kumar Mishra,
Executive Director (Works),
Durgapur Steel Plant.
District Burdwan,
West Bengal”.

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC]

SUNIL BARTHWAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published vide number S.O. 1579(E), dated the 13th July, 2012.